न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I (RAS)**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **21/2019** **GCMS 2019/00034**

प्रार्थी :–

1. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामन सिटी

अप्रार्थी:–

1. नेमाराम पुत्र चन्द्राराम बराला जाति निवासी कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177, 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी
श्री श्यामसुंदर चौधरी वकील अप्रार्थी

–:निर्णय :–

दिनांक :– 03/01/2025

तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम में कुचामन सिटी अवस्थित वर्तमान खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टयर किस्म बारानी 02 अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि की वर्तमान किस्म बारानी द्वितीय में अप्रार्थी नेमाराम द्वारा उपर्युक्त आराजी में से रकबा 0.1618 हैक्टयर कृषिभूमि को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये बिना सीमेंन्ट ब्लॉक फेक्ट्री हेतु औद्यौगिक कार्य के लिए कृषि भूमि को दुरूपयोग कर कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यों के लिए उपयोग में ले रहा है इस वजह से कृष भूमि की उर्वरकता को नष्ट हो रही है। रिपोर्ट हल्का पटवारी अरआई एवं खसरा परिवर्तनशील गैर मुस्तकील काश्त संम्वत् 2075 सन् 2018–19 है। अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टयर की बारानी द्वितीय [illegible] कृषि प्रयोजनार्थ [illegible] सीमेन्ट ब्लॉक निर्माण के कार्यों हेतु उपयोग में लेकर उक्त कृषि भूमि की [illegible]क्षमता को भारी नुकसान कारित किया है, अप्रार्थी का यह कृत्य [illegible] काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लघंन है। उर्पुक्त अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टयर कृषिभूमि को हानिप्रद गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के कारण अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उसके खातेदारी की कृषिभूमि को सिवायवचक राजकीय भूमि घोषित किये जाने तथा अप्रार्थी की बेदखली हेतु आवेदन पेश है। मौजा ग्राम कुचामन सिटी के वर्तमान खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टयर बारानी द्वितीय कृषि भूमि अप्रार्थी के खातेदार अधिकार समाप्त कर उक्त अराजी राजकीय खातेदारी की सिवायचक घोषित की जाकर अप्रार्थी की बेदखली की डिक्री सादिर फरवाई जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, जिसमें कथन किया है कि कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टयर भूमि का नगर पलिका मण्डल कुचामन सिटी से औद्योगिक संपरिवर्तन करवा रखा है तथा समक्ष अधिकारी की स्वीकृति से सीमेंट ब्लॉक फेक्ट्री का संचालन करता आ रहा है जिससे अप्रार्थी अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करता आ रहा है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त खसरा नम्बर 3289/1013 की भूमि कृषि भूमि ही दर्ज चली आ रही है। जिसका नुकसान सीधे तौर पर अप्रार्थी को भुगताने पर तुले हुए है जो विधिविरूद्ध व गैर कानूनी है। प्रार्थी अपनी भूमि खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टयर भूमि का नगर पालिका मण्डल कुचामन सिटी से औद्योगिक संपरिवर्तन करवा रखा है तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृत से सीमेंट ब्लॉक फेक्ट्री का संचालन करता आ रहा है जिससे बिनाय दावा पैदा होने का प्रश्न ही नहीं है। जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाये जावे।

प्रकरण में उभय पक्षकरान की बहस सुनी गई। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबंदी नकल सम्वत् 2074–77 ग्राम कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टयर में नेमाराम पुत्र चन्द्राराम बराला हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह ख[illegible] है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा विलेख संख्या 3236/2014 [illegible] कुचामन सिटी में पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या 2014005251 दिनांक 16.12.2014 के अनुसार कुचामन सिटी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

प्रार्थना–पत्र सं 21/2019 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कुचामन सिटी बनाम नेमाराम

खसरा नम्बर 3289/1013 क्षेत्रफल 1866.66 वर्गगज का औद्योगिक जारी हुआ है। नगर पालिका कुचामन सिटी के प्रारूप 11 दिनांक 19.09.2014 अनुसार खातेदार नेमाराम के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टयर में खातेदारी अधिकार समाप्त कर गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की गई है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र नागौर द्वारा पार्ट 1 में सीमेंट ब्लॉक बनाये जाने का अंकन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों आधार पर यह प्रार्थना पत्र/वादपत्र निरस्त काबिल पाया गया है।

:–आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 03/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:32:04 IST
Reason: SelfAttested